आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
06.02.2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमांबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
14.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त। पुनः जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 21.02.2023 को रखें। अंचल अधिकारी मनातू।	

अभिलेख अपस्थापित।

23.02.2023

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। कि मौजा ..... थाना सं0..... खाता सं0– 27 ..... प्लौट सं0. 279/A रकबा 2.00 एकड़ है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं0 201/7 पर ..... से मांग कायम है।

अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

23.2.23

अंचल अधिकारी,

मनातू।

23.2.23

अंचल अधिकारी,

मनातू।

सेवा में,
अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

विषय → अवैध जमाबंदी केश नं० - 48/2016-17 के जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में रैयत महेश्वर मुर्डियाँ पिता- सुकन मुर्डियाँ ग्राम मितडीहा का संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी वाद सं - 48/2016-17 बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत अंचल कार्यालय में सुनवाई चल रही है। उक्त रैयत की भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

* पंजी II के अनुसार विवरण निम्न है-

महेश्वर मुर्डियाँ पिता सुकन मुर्डियाँ

खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	पेज	परिवर्तन का प्राधिकार
27	279/A	2.00 एक०	Rs 8/-	201/7	बन्दोबस्ती केश नं० 44 साल 1995-96 एवं अनु० पदा० सदर के आदेश दिनांक - 28/6/1995 के आलोक में माँग खोला गया।

उक्त भूमि खाता - 27, प्लॉट - 279/A अनुमण्डल पदाधिकारी सदर के बन्दोबस्ती केश नं० - 44 वर्ष → 1995-96 के आदेशानुसार दिनांक - 28/6/1995 के आलोक में माँग खोला गया एवं जमाबंदीदार रैयत महेश्वर मुर्डियाँ पिता- सुकन मुर्डियाँ अनु० जाति (SC) समुदाय से आते हैं।

उक्त आलोक में भू-अभिलेख से मिलान उपरांत यह मामला संदेहास्पद जमाबंदी का प्रतीत नही होता है। बन्दोबस्ती प्राप्ती के बाद से लगातार 2001-02 तक लगान रसीद निर्गत दर्ज है।

अतः नियमानुसार अग्रेतर कारवाई हेतु समर्पित।

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.02.23 17:38:43 +05:30
Location: 10.93.157.5

Shekhar
ग्रा० अ० निरीक्षक
हल्का - 4
मनातू